

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

--: विज्ञप्ति ::--

क्रमांक 665 / विकास / 2022

जबलपुर, दिनांक 18/11/2022

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 2338/विकास/22 जबलपुर दिनांक 10/03/2022 द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में अधिष्ठाता के एक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। पुनः ज्ञाप क्रमांक 3344/विकास/2022 जबलपुर दिनांक 08/04/2022 तथा ज्ञाप क्रमांक 100/समन्वय/2022 जबलपुर दिनांक 21/04/2022 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई।

उपरोक्त विज्ञापन मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र जनवरी 2018 के द्वारा जारी आदर्श सेवा नियम के अनुपालन में जारी किया गया था जिसके साथ संलग्न अनुसूची दो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) के एक पद को पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा किया जाना प्रावधानित है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 372 दिनांक 12/04/2022 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के नियम 3(ग) के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग की नवीन अनुसूचियां जारी की गई है जिसमें अनुसूची दो में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी अनुसूची तथा समय-समय पर अनुसूची से संबंधित संशोधनों को अधिकमित करते हुए नवीन अनुसूची अंतर्विष्ट की गई है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) का पद मात्र पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन कर नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की जा सकती, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जारी उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 2338/विकास/22 जबलपुर दिनांक 10/03/2022, ज्ञाप क्रमांक 3344/विकास/2022 जबलपुर दिनांक 08/04/2022 तथा ज्ञाप क्रमांक 100/समन्वय/2022 जबलपुर दिनांक 21/04/2022 एवं उसके तारतम्य में अब तक की गई प्रक्रिया निरस्त की जाती है।

(बी० चन्द्रशेखर)

कमिश्नर

जबलपुर संभाग

पृष्ठांक क्रमांक 665 / विकास / 2022

जबलपुर, दिनांक 18.11.22

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(बी० चन्द्रशेखर)

कमिश्नर

जबलपुर संभाग